वार्षिक सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट

2016-17

(01-04-2016 से 31-03-2017 तक)

वन विभाग, हिमाचल प्रदेश।

वन विभाग, हिमाचल प्रदेश।

वार्षिक सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट – 2016-17

परिचय

हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। एक ओर जहां वनों से प्रत्यक्ष रूप में हमें निरन्तर ईमारती लकड़ी, ईंधन, बरोज़ा, बांस, भब्बर घास, चारा तथा वन औषधियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रही हैं वहीं दूसरी ओर प्रदूषण रहित वातावरण और प्राकृतिक सन्तुलन को बनाए रखने के लिए अप्रत्यक्ष रूप में वनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रदेश के कुल 37,033 वर्ग कि0मी0 अधिसूचित वन क्षेत्र में 1,898 वर्ग कि0मी0 आरक्षित वन, 11,931 वर्ग कि0मी0 सीमांकित सुरक्षित वन तथा 23,204 वर्ग कि0मी0 असीमांकित, अवर्गीकृत व निजी वन हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण (पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा प्रकाशित ''भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017'' के अनुसार सैटेलाईट आंकलन के आधार पर प्रदेश का कुल वनावरण 15,100 वर्ग कि0मी0 है जिसमें अत्यन्त सघन वन 3,110 वर्ग कि0मी0, सामान्य सघन वन 6,705 वर्ग कि0मी0 तथा खुले वन 5,285 वर्ग कि0मी0 हैं।

विभिन्न वानिकी परियोजनाओं द्वारा प्रदेश में पौधारोपण किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा भूमि वृक्षों से ढकी जा सके। कुल अधिसूचित वन क्षेत्र में 16,376 वर्ग कि0मी0 पर्वतीय चरागाहों, चट्टानों और बर्फीली पहाड़ियों के अन्तर्गत अनुमानित है, जिसका प्रदेश के लोगों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि प्रदेश की 25 से 30 प्रतिशत् ग्रामीण अर्थव्यवस्था इन चरागाहों पर आश्रित पशुओं पर निर्भर करती है।

2. वर्ष के दौरान वनों तथा वन्य प्राणी संरक्षण के अतिरिक्त जिन विषयों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया उनमें निम्नलिखित विषय मुख्य हैं :-

(क) पौधारोपित क्षेत्रों का निरीक्षण सभी स्तरों के अधिकारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है जिसमें वनराजिक, सहायक अरण्यपाल, वन मण्डलाधिकारी तथा अरण्यपालों के लिए निरीक्षण प्रतिशत् निर्धारित है ताकि वृक्षारोपण की सफलता का आकलन करके विफलताओं के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके। इस प्रकार का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है जिसके परिणाम उत्साहवर्धक हैं। वन मण्डलाधिकारियों तथा अरण्यपालों से पौधारोपण निरीक्षण की रिपोर्ट निश्चित समय पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एच0ओ0एफ0एफ0) को भेजी जा रही है।

(ख) सुरक्षित व सीमांकित वन जिनका राजस्व रिकार्ड में उल्लेख नहीं है, का सर्वेक्षण, बन्दोबस्त व राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इसमें शिमला व सोलन जिले शामिल हैं।

(ग) विभिन्न विकास पैटर्नों, पेड़ों की अरोग्यता तथा लोगों की जरूरतों को पूरा करने को ध्यान में रखते हुए वनों के उत्थान के लिए उपचार, प्रबन्धन और जंगलों पर जैविक दबाव से संरक्षण हेतु कार्ययोजनायें एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। वैज्ञानिक प्रबन्धन हेतु प्रदेश के वनों को 36 कार्ययोजनाओं के अन्तर्गत लिया गया है। इन कार्ययोजनाओं को बनाने तथा अवधि समाप्त होने पर पुनः संशोधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मार्च, 2017 तक 25 कार्य योजनाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। 1 कार्ययोजना को बनाकर भारत सरकार के पास अनुमोदन हेतु भेजा गया है। इसके अतिरिक्त 10 कार्ययोजनाओं की समय अवधि पूर्ण हो चुकी है और उनके संशोधन पर कार्य किया जा रहा है।

(घ) वनों के संरक्षण को अधिक प्रभावी तथा कारगर बनाने हेतु जिससे उनको आग, अवैध कटान, चोरी आदि से नुकसान न हो इसके लिए विभाग ने दो वन मण्डल, उड़न-दस्ते खोल रखे हैं जो सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

वन क्षेत्र पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए विभाग ने कई पग उठाए हैं। तकनीकी अवरोधों को दूर करने तथा तुरन्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से वन मण्डलाधिकारियों को कलैक्टर की शक्तियाँ हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्रिमिसिज़ तथा लैण्ड इविक्शन एण्ड रैन्ट रिक्वरी एक्ट 1971, के तहत दी गई है। लकड़ी की चोरी और अवैध व्यापार को रोकने के लिए वन मण्डलाधिकारियों और अरण्यपालों को चोरी या अवैध व्यापार में प्रयोग किये जाने वाले वाहनों को जब्त करने की शक्तियाँ दी गई हैं।

(ङ) वर्ष के दौरान प्रदेश के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को वानिकी तथा अन्य विषयों पर समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त चायल तथा सुन्दरनगर वन प्रशिक्षण संस्थानों में, दीर्घ एवम् लघु अवधि के विभिन्न प्रशिक्षण कोर्सों तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसके अन्तर्गत 6 सहायक अरण्यपालों, 4 वन मण्डलाधिकारियों, 73 वन-राजिकों, 81 उप-वन-राजिकों, 330 वन-रक्षकों, 5 लिपिकों, 12 चौकीदारों, 4 मालियों तथा 2 फॉरेस्ट वर्करों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रदेश में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं से धन उपलब्ध करवाया गया जो निम्न प्रकार से है :-

- **विश्व बैंक की सहायता से संचालित मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजनाः**

हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना एक एकीकृत जलागम विकास परियोजना है। समुदाय संचालित विकास के सिद्धान्त पर आधारित यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से दस जिलों के 42 विकास खण्डों की 602 पंचायतों,

जो कि 600 से 1800 मीटर की ऊँचाई के मध्य पड़ती हैं में 01-10-2005 से 6 वर्षों के लिए शुरू की गई थी। इस परियोजना की कुल लागत 365.00 करोड़ रुपये थी जिसमें विश्व बैंक का अंश 270.00 करोड़ रुपये, प्रदेश सरकार का अंश 67.50 करोड़ रुपये तथा लाभार्थी अंश 27.50 करोड़ रुपये था। लाभार्थी अंश परियोजना निधि में न जा कर ग्रामीण विकास हेतु पंचायतों के ग्रामीण विकास कोष में जमा करके परियोजना द्वारा निर्मित संसाधनों के रख रखाव पर किया जाता है।

परियोजना के कार्यन्वियन की सफलता को देखते हुए विश्व बैंक ने इस परियोजना की अवधि मार्च, 2017 तक बढ़ा दी थी। परियोजना के इस दूसरे चरण में अतिरिक्त वित्तीय सहायता की कुल लागत 279.74 करोड़ रुपये थी जिसमें से विश्व बैंक का 223.79 करोड़ रुपये तथा हि0 प्र0 सरकार का 55.95 करोड़ रुपये का अंश था। यह परियोजना 710 पंचायतों में विभिन्न स्तर पर कार्यरत थी। इस योजना का उद्देश्य कुदरती संसाधनों में आई कमी को पूरा करना तथा योजना-क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी करना था।

वर्ष 2016-17 के लिए इस परियोजना के अन्तर्गत 64.16 करोड़ रुपये का वित्तीय लक्ष्य रखा गया था जिसे खर्च कर दिया गया और यह परियोजना 30-09-2017 को समाप्त हो चुकी है।

- **स्वां नदी एकीकृत जल प्रवाह विकास परियोजना :**

जापान सरकार की सहायता से संचालित 160 करोड़ रुपये की स्वां नदी एकीकृत जल प्रवाह विकास परियोजना आरम्भ में जून, 2006 से मार्च, 2014 तक आठ वर्षों के लिये बनाई गई थी। अब सूक्ष्म-योजना स्तर पर क्रियान्वित करने पर तथा वर्ष 2011 में योजना पर अर्धवार्षिक मध्यावधि समीक्षा एवम् मूल्यांकन (MTR&E) की

सिफारिशों के अनुसार यह योजना 2006–07 से 2015–16 तक 10 वर्षों के लिये 215 करोड़ रुपये की संशोधित की गई है। इस परियोजना को वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से ऊना जिला की 96 पंचायतों में पंचायत विकास समितियों के तहत परिचालित किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत 85 प्रतिशत् लोन तथा 15 प्रतिशत् राज्य हिस्सा स्टाफ को वेतन तथा कर इत्यादि के रूप में निर्धारित की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य वनों का पुनरोत्पादन, कृषि भूमि की सुरक्षा तथा स्वां नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में कृषि एवम् वानिकी उत्पादन में वृद्धि करना है। इसके लिए स्वां नदी जल ग्रहण क्षेत्र में एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन गतिविधियां जिनमें वानिकी, भू एवम् नदी प्रबन्धन के लिए निर्माण कार्य व भू-संरक्षण कार्य किये जा रहे हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत कृषि विकास तथा लोगों की आजीविका सुधारने के लिए भी कार्य किये जा रहे हैं ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।

वर्ष 2016-17 के दौरान इस परियोजना के लिये 5.87 करोड़ रुपये का वित्तीय लक्ष्य इस परियोजना की समापन तथा अन्य गतिविधियों के लिए रखा गया था, जिसे खर्च कर दिया गया और यह परियोजना इस वर्ष समाप्त हो गई है।

- **हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम्स क्लाईमेट प्रूफिंग परियोजना (केएफडब्ल्यू):**

हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम्स क्लाईमेट प्रूफिंग परियोजना (केएफडब्ल्यू) बैंक, जर्मनी के सहयोग से 7 वर्षों की अवधि के लिए वर्ष 2015-16 से प्रदेश के चम्बा और कांगड़ा जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत 308.45 करोड़ रुपये की है जिसे जर्मन सरकार के 85.10 प्रतिशत् लोन व 14.90 प्रतिशत् राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। इस परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने, जैव विविधता बढ़ाने, वन संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन और ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्त्रोत बढ़ाना है। अन्ततोगत्वा, यह परियोजना जलवायु

परिवर्तन, जैव विविधता की सुरक्षा, जलग्रहण क्षेत्र के स्थिरीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और साथ ही हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बेहतर आजीवका के साधन पैदा करने में सहायक होगी। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस परियोजना के लिए 40.00 करोड़ रुपये का प्रावधान था जो कि खर्च कर दिया गया।

3. वित्तीय परिणाम

हिमाचल प्रदेश में शंकुधर वनों का उत्पादन चौड़ी पत्ती के वनों से अधिक है, परन्तु यह आवश्यक आपूर्ति के लिए अपर्याप्त है। मांग की आपूर्ति के लिए लम्बी अवधि की योजनाएं प्रदेश में वन प्रजातियों के विकास के लिए आवश्यक हैं। पिछले पांच वर्षों में वनों पर व्यय से सम्बन्धित आंकड़े निम्न हैं :-

(रुपये लाखों में)

वर्ष	राजस्व	नान-प्लान व्यय	सरप्लस नान-प्लान व्यय	प्लान व्यय	कुल व्यय
2012-13	6389.73	22656.82	(-)16267.09	15518.50	38175.32
2013-14	35783.45	25710.57	10072.88	18280.08	43990.65
2014-15	11578.10	27471.45	(-)15893.35	17477.77	44949.22
2015-16	3446.99	26252.32	(-)22805.33	16805.01	43057.33
2016-17	1849.74	29471.79	(-)27622.05	14640.35	44112.14

नोट :- व्यय के आंकड़ों को वन तथा भू-संरक्षण मदों को मिला कर दर्शाया गया है जिसमें राज्य और केन्द्रीय सैक्टर के प्रोग्राम शामिल हैं।

4. राजस्व

वर्ष 2016-17 में वनों से 1849.74 लाख रुपये का राजस्व अर्जित हुआ। स्त्रोत सहित तीन वर्षों का ब्योरा निम्न प्रकार से है:-

(रुपये लाखों में)

मेजर हैड 0406 - वन राजस्व	**2014-15 (वास्तविक)**	**2015-16 (वास्तविक)**	**2016-17 (वास्तविक)**
1. सरकारी एजेंसियों द्वारा जंगलों से निष्कासित इमारती लकड़ी तथा अन्य वनोपज़	13.60	8.13	134.13
2. हिमाचल प्रदेश वन निगम द्वारा वनों से निष्कासित इमारती लकड़ी तथा अन्य वनोपज	3263.69	1166.05	180.09
3. प्रवाहित तथा बिखरी पड़ी लकड़ी (ड्रिफ्ट एण्ड वेफवुड)	0.44	2.74	0
जोड़	**3277.73**	**1176.92**	**314.22**
4. अन्य आय			
i) वन्य प्राणी संरक्षण एवं पर्यावरण	5.35	5.26	13.12
ii) अन्य गौण साधनों से आय।	8295.02	2264.81	1522.40
जोड़	**8300.37**	**2270.07**	**1535.52**
कुल राजस्व	**11578.10**	**3446.99**	**1849.74**

5. बजट

समाान्य कार्य गैर योजना बजट के अन्तर्गत कार्यान्वित किए जाते हैं जबकि विकास सम्बन्धी कार्य योजना बजट के अन्तर्गत किए जाते हैं। वर्ष 2016-17 में गैर योजना पर 29471.79 लाख रुपये व्यय किये गए जबकि वर्ष 2015-16 में यह व्यय 26252.37 लाख रुपये था। वर्ष 2016-17 में योजना बजट के तहत 14640.35 लाख रुपये व्यय किए गए जबकि 2015-16 में यह व्यय 16805.01 लाख रुपये था।

6. पौधारोपण कार्यक्रम :

वर्ष 2016-17 में विभाग द्वारा विभिन्न पौधारोपण योजनाओं के अर्न्तगत 10052 हेक्टेयर क्षेत्र में 107.00 लाख पौधे लगाए गये जिसका जिलाबार ब्योरा निम्नलिखित है :-

क्र0 सं0	जिला	पौधारोपित क्षेत्र (हे0)	पौधे (लाखों में)
1	बिलासपुर	206	2.09
2	चम्बा	2002	23.81
3	कांगड़ा	1622	13.82
4	कुल्लू	1520	18.18
5	मण्डी	1126	12.49
6	सिरमौर	568	4.57
7	सोलन	810	8.26
8	शिमला	1237	11.97
9	हमीरपुर	207	1.76
10	लाहौल-स्पीति	71	1.60
11	किन्नौर	412	5.85
12	ऊना	271	2.60
	कुल	**10052**	**107.00**

वर्ष के दौरान राज्य योजना के अन्तर्गत किए गये योजनावार पौधारोपण की भौतिक उपलब्धियों का ब्योरा निम्नलिखित है :-

क्र0 सं0	योजना का नाम	उपलब्धियां 31-03-2017
		भौतिक (हे0)
1.	2.	3.
1	सुरक्षात्मक वनीकरण, भू-संरक्षण एवं प्रदर्शन	762
2	चरागाह विकास	293
3	वृक्षावरण सुधार	3448
4	सांझी वन योजना	-
5	चिलगोज़ा पुनर्जनन	-
6	मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना	418
7	राष्ट्रीय बांस मिशन	-
8	हि0प्र0 फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स क्लाईमेट प्रूफिंग प्रोजैक्ट	417
	जोड़	**5338**

7. प्रशासनिक इकाईयां तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या (31-03-2017)

इकाई	क्षेत्रीय व वन्य प्राणी	कार्यकारी	कुल
वृत	12	13	25
मण्डल	44	8	52
परिक्षेत्र	199	4	203
ब्लॉक	575	0	575
बीट	2068	0	2068

अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

पद/श्रेणी	स्वीकृत	स्थिति में
राजपत्रित -I:		
भारतीय वन सेवा अधिकारी	114	98
राज्य वन सेवा अधिकारी	160	135
पशु चिकित्सक	7	5
जिला अटार्नी	1	1
उप-नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)	1	1
पंजीयक	3	3
अधीक्षक ग्रेड-I	23	23
निजी सचिव	1	1
अधिशासी अभियन्ता	2	2
सहायक अभियन्ता	5	4
कलैक्टर फॉरैस्ट	3	0
तहसीलदार	2	2
कुल	**322**	**275**
राजपत्रित -II:		
वन-राजिक	296	194
अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा)	2	2
वन मानचित्र अधिकारी	1	1
साँख्यिकीविद्	1	1
नायब तहसीलदार	8	5
कुल	**308**	**203**
तृतीय श्रेणी:		
उप-वनराजिक	801	743
वन रक्षक	2581	2501
अधीक्षक ग्रेड -II	122	117
वरिष्ठ सहायक	219	207
कनिष्ठ सहायक/लिपिक	445	242
निजी सहायक	10	10
सीनियर स्केल स्टैनोफर	19	4

स्टैनो टाइपिस्ट	13	1
तकनीकी सहायक	1	1
सांख्यिकीय सहायक	**3**	**1**
संगणक	**4**	**0**
कनिष्ठ अभियन्ता	7	5
मुख्य प्रारुपकार	13	12
कनिष्ठ प्रारुपकार	11	7
प्रारुपकार	9	1
सर्वेक्षक	5	1
कानूनगो	25	20
पटवारी	16	8
वैटनरी फार्मासिस्ट	3	1
प्रूफ रीडर	1	0
रैस्टोरर	1	1
ईलैक्ट्रीशियन	6	6
बुक बांईडर	2	2
कारपेंटर	6	4
कम्पोजिटर	2	2
ड्राईवर	83	79
कंडक्टर	3	2
अन्य	14	4
जोड़	**4425**	**3982**
चतुर्थ श्रेणीः		
पशु परिचर	26	26
बेलदार	6	5
वोटमैन	7	4
दफतरी	10	7
गेटकीपर	4	4
जमादार	30	26
डाक रनर	21	15
माली	280	276
चौकीदार	465	446
पियन	582	557

खलासी	2	1
स्वीपर	58	42
पलम्बर	8	6
म्यूलमैन/साईस	19	12
फौरैस्ट वर्कर	2290	2264
अन्य	21	15
जोड़	**3829**	**3706**
कुल जोड़	**8884**	**8166**

8. अधिकतम तथा लगातार उत्पादन के लिए क्षेत्र का प्रबन्धन

हाल के वर्षों में वनों का प्रबन्धन अधिक उत्पादन के लिए ही नहीं बल्कि वातावरण को प्रदूषण मुक्त तथा भूमि कटाव की रोकथाम के लिए भी किया जाता है। अधिकांश वन क्षेत्रों का प्रबन्धन नियमित कार्ययोजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है।

9. वन निगम

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य वन निगम की स्थापना 1 अप्रैल, 1974 को वनों से प्राप्त की जाने वाली वनोपज के निष्कासन हेतु की गई थी। वर्ष 2016-17 का विवरण निम्न प्रकार से है :-

(क) बरोजा

हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा विभागीय बरोजा निस्सारण कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में 15,17,704 बरोजा के टक हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को निस्सारण हेतु सौंपे गये जिनसे 58,412 क्विंटल बरोजा निकाला गया। उपरोक्त सरकारी टकों के अतिरिक्त दूसरे निजी क्षेत्रों का बरोजा भी हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम खरीदती है। वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश बरोजा एवं बरोजा उत्पाद (व्यापार

विनियम) अधिनियम 1981, के अन्तर्गत निजी क्षेत्रों से निकाला गया बरोजा भी राज्य वन निगम द्वारा खरीदा गया क्योंकि किसी भी निजी मालिक को हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था को इसे बेचने की अनुमति नहीं दी जाती।

(ख) ईमारती लकड़ी

प्रदेश में सरकारी वनों से लकड़ी के निष्कासन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। वर्ष 2016-17 में निगम को 2,04,149 घन मीटर लकड़ी निस्सारण हेतु दी गई है। इसके अतिरिक्त 20,866 घनमीटर लकड़ी बर्तनदारों को बर्तनदारी दर पर प्रदान की गई।

10. वानिकी अनुसंधान

वर्ष के दौरान डॉ0 वाई0 एस0 परमार उद्यान एवम् वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन को वानिकी अनुसंधान हेतु जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत 42.00 लाख रुपये की सहायता अनुदान राशि का प्रावधान रखा गया था जिसका भुगतान मार्च, 2017 तक कर दिया गया। इसके अतिरिक्त विभाग में एक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण इकाई भी कार्य कर रही है। इसका मुख्य कार्य बीज प्रमाणिकता, बीज एकत्रीकरण तथा उसका भण्डारण, नर्सरी प्रयोग, पौधारोपण प्रयोग तथा वर्धन एवं उपज अध्ययन पर शोध कार्य करना है। इसके अन्तर्गत अनुसंधान के लिए वार्षिक लक्ष्य 10.02 लाख रुपये रखा गया था जिसे मार्च, 2017 तक व्यय कर लिया गया।

11. वन्य प्राणी संरक्षण

हिमाचल प्रदेश में योजना बजट के तहत वन्य प्राणी संरक्षण की निम्न योजनाएं कार्यान्वित हैं :-

1. वन्य प्राणी परिरक्षण
2. राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्यों का विकास
3. हिमालयन जूलॉजिकल पार्क का विकास
4. एच0पी0जैड0सी0बी0एस0 को अनुदान
5. जूलोज़िकल पार्क का विकास
6. पिन वैली नैशनल पार्क का विकास
7. वन्य प्राणी शरण्यों का गहन प्रबन्ध
8. कोल्ड डिज़रट बायोस्फेयर रिजर्व प्रबन्धन कार्य योजना

उपरोक्त योजनाओं के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सैक्टर के तहत 753.18 लाख रुपये तथा केन्द्रीय सैक्टर के तहत 244.72 लाख रुपये खर्च किये गये। विस्तृत ब्योरा परिशिष्ट-(क) में उपलब्ध है।

12. प्रचार योजना

विभाग में किए जा रहे कार्यक्रमों के महत्व को विस्तारपूर्वक प्रचार वन मण्डल, शिमला द्वारा प्रचारित किया जाता है। प्रदेश के लोगों को आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापन-गीतों, दृश्यों एवं श्रवण, इलैक्ट्रोनिक तथा प्रिंट मीडिया, प्रदर्शनियों, प्रकाशित सामाग्री तथा दूरदर्शन द्वारा वनों और उनके महत्व की जानकारी दी जाती है। इन गतिविधियों पर वर्ष 2016-17 के दौरान 20.51 लाख रुपये की धन राशि खर्च की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान 5 अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां भी संचालित की गई, जिन पर 6.30 लाख रुपये खर्च किए गये।

13. सांझी वन योजना

प्रदेश में सांझी वन योजना वर्ष 1998 से आरम्भ की गई। इस योजना पर वर्ष 2016-17 में 16.14 लाख रुपये व्यय किए गए। यह योजना सामाजिक प्रक्रिया का एक परीक्षण है इसमें विभागीय प्रबन्धन प्रणाली से हटकर एक नया प्रयास किया जा रहा है। यह योजना सामुदायिक सहभागिता पर आधारित एक योजना है जिसमें गैर सरकारी संगठनों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत, महिला मण्डल, युवक मण्डल, स्कूल तथा ग्राम विकास समितियां भागीदार हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु इन संस्थाओं को मौलिक स्तर पर शामिल करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त वनों के लिए पुनर्वास, समुदाय के हित के लिए सामाजिक सम्पति का सृजन करना, सामुदायिक सहभागिता के लिए सरकारी कर्मचारियों का पुनर्विन्यास करना, सामूहिक प्रबन्धन के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा अधिक से अधिक निजी बंजर भूमि को वनों के अधीन लाने हेतु खर्च तथा लाभ में भागीदारी के आधार पर लोगों को प्रोत्साहित करना आदि शामिल हैं। इस योजना में बाह्य सहायक एजैंसियों ने बहुत रूचि दिखाई है।

14. हिमाचल प्रदेश राज्य कैम्पा

हिमाचल प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण की स्थापना दिनांक 3 अगस्त, 2009 को माननीय उच्चतम न्यायालय भारत सरकार के आदेशानुसार की गई थी जिसमें निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया।

क. शासी निकाय : [सभापति : मुख्य मन्त्री, उप-सभापति : वन मन्त्री और सदस्य सचिव : अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)]

ख. विषय निर्वाचन समिति : [सभापति : मुख्य सचिव, हिमाचल सरकार और सदस्य सचिव : प्रधान मुख्य अरण्यपाल (कैट प्लान)]

ग. <u>कार्यकारिणी समिति</u> : [<u>अध्यक्ष</u> : प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एच0ओ0एफ0एफ0), हिमाचल प्रदेश और <u>सदस्य सचिव</u> : नोडल अधिकारी (राज्य कैम्पा)]

तदर्थ कैम्पा, भारत सरकार में हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रतिपूरक वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना तथा वन्य प्राणी प्रबन्धन आदि कार्य करने हेतु उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा पैसा जमा करवाया जाता है। वर्ष 2016-17 से हिमाचल प्रदेश राज्य कैम्पा को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कुल जमा राशि का 10% भाग उपरोक्त कार्यों को करने हेतु जारी किया जाता है। ये कार्य भारत सरकार द्वारा अनुमोदित जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना तथा FCA clearance की औपचारिकता पूर्ण करने के उपरांत ही किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य कैम्पा की विषय निर्वाचन समिति (Steering Committee) द्वारा वर्ष 2016-17 की वार्षिक योजना के लिये 137.64 करोड़ रुपये की राशि निम्नलिखित गतिविधियों के लिये अनुमोदित की गई जिसका ब्योरा निम्नलिखित है :-

Sr. No.	Name of Head/Sector	APO Amount in (Crore)
1.	शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV)	52.40
2.	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (CAT Plan)	29.84
3.	प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation)	14.52
4.	वन्य प्राणी प्रबन्धन योजना (Wildlife Management Plan)	1.08
5.	रिम प्लांनटेशन (Rim Plantation)	0
6.	भू एवं जल संरक्षण प्लान (Soil & Water Conservation Plan)	0.35
7.	रिक्लामेंशन प्लान (Reclamation Plan)	0.63
8.	Protected Area Corpus	38.00
9.	स्कूल नर्सरी योजना	0.02
10.	नगर वन उद्यान योजना	0.80
जोड़		**137.64**

वर्ष 2016-17 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य कैम्पा द्वारा 127.72 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई, जिसका ब्योरा निम्नलिखित है :-

(रुपये करोड़ों में)

1.	वर्ष 2016-17 के APO के विरुद्ध खर्च की गई राशि	120.03
2.	पिछले वर्षों के balance funds के विरुद्ध खर्च की गई राशि	7.69
जोड़		**127.72**

15. हिमाचल प्रदेश में भागीदारी वन प्रबन्धन

हिमाचल प्रदेश में भागीदारी वन प्रबन्धन का कार्यान्वयन भारतीय वन नीति 1988 की सिफारिशों तथा इसके उपरान्त वर्ष 1990 में प्राकृतिक वन प्रबन्धन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के प्रस्ताव का अनुसरण करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2000 में अधिसूचना जारी करके किया।

इसके अन्तर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विभाग में वन मण्डलाधिकारियों के स्तर पर 1562 संयुक्त वन विकास समितियों का गठन किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से मुख्यालय स्तर पर हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास एजेंसी गठित की गई जिसके माध्यम से भारत सरकार ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक प्रदेश की संयुक्त वन विकास समितियों को वानिकी कार्यक्रम में सीधे तौर पर धन उपलब्ध करवाया है। वर्तमान में 36 क्षेत्रीय तथा 2 वन्यप्राणी वनमण्डलों में वन विकास एजेंसियों का गठन किया जा चुका है।

वर्ष 2016-17 में भारत सरकार से कोई भी धन राशि प्राप्त नहीं हुई है लेकिन कुछ SFDA के पास पिछले वर्षों की शेष बची हुई राशि में से 47.38 लाख रुपये रख-रखाव व अन्य कार्यों पर खर्च किये गये।

16. वनों की आग से सुरक्षा :

वर्ष 2016-17 के दौरान वनों को आग से बचाने हेतु 68 संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों को चिह्नित कर वनों की आग से सुरक्षा हेतु शामिल किया गया। इन समितियों से आग निकासी लाईनों, आग पर नियन्त्रण के उपायों आदि को हर वर्ष जनवरी व फरवरी तक भुगतान के आधार पर करवाया जाता है। आग न लगने की स्थिति में इन समितियों को मौद्रिक प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में वनों की आग से सुरक्षा करने हेतु कुल मिलाकर 120 आग नियन्त्रण कक्षों की स्थापना भी की गई है। वर्ष के दौरान आग की 1832 घटनाओं में लगभग 19535.76 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ जिससे 3,50,67,790 रुपये का अनुमानित नुक्सान हुआ है।

17. ईको-टूरिज्म :

हिमाचल प्रदेश देश के पांच बड़े पर्यटन स्थलों में से एक है तथा यहां लाखों पर्यटक प्रति वर्ष राज्य की प्राकृतिक सुन्दरता का अनुभव/आनन्द उठाते हैं। अधिकतर पर्यटन से सम्बन्धित गतिविधियां प्रदेश के मुख्यतः चार पहाड़ी स्थलों जैसे शिमला, मनाली, धर्मशाला तथा डलहौजी में ही केन्द्रित रहती हैं। अधिकतर पर्यटकों को गांवों व घने जंगलों में जाने का मौका नहीं मिल पाता जो कि वास्तव में पर्यटकों के लिए प्राकृतिक सौन्दर्य/स्वर्ग के समान है।

इस दृष्टिकोण से, वर्ष 2001 में वन विभाग ने पर्यटन से सम्बन्धित नीति तैयार की थी जिसे तत्पश्चात् वर्ष 2005 में संशोधित किया गया। इस नीति के अन्तर्गत ग्रामीणों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है ताकि वे अपनी सम्पति की बढ़ोतरी कर सके और साथ ही जीविका के साधन भी जुटा सके। हिमाचल प्रदेश पर्यावरणीय पर्यटन संस्था द्वारा प्रदेश में 10 विश्राम गृहों/कैम्पिंग साइटों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के अन्तर्गत पर्यावरणीय पर्यटन गतिविधियों के विकास के लिए किराए पर दिया गया था

जिसमें से वर्तमान में केवल 6 विश्राम गृह/कैम्पिंग साइटें ही क्रियाशील हैं जिनका विवरण निम्नलिखित हैंः–

1) अला, विश्राम गृह, डलहौजी
2) शोघी, कैम्पिंग साइट
3) बडोग, कैम्पिंग साइट
4) चेवा, सैल्फ आईडैन्टीफाइड साइट
5) मोतीकुना हिल टॉप (सनावर), सैल्फ आईडैन्टीफाइड साइट
6) सोनू बंगला, कैम्पिंग साइट

पारिस्थितिकी पर्यटन पर केन्द्रीय मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए इस नीति में वर्ष 2017 में फिर से संशोधन करके संशोधित नीति, 2017 लागू की गई है। वर्ष 2005 की नीति में जो मुख्य बदलाव किए गये हैं वे निम्नलिखित हैंः-

i) 50 वन विश्राम गृह हि0प्र0 ईको टूरिज़म सोसायटी के अन्तर्गत लाए गये हैं जिनसे प्राप्त आय का इन्हीं वन विश्राम गृहों की मरम्मत व सुधार के लिए खर्च किया जाएगा।

नई नीति के तहत निम्नलिखित साईटों को चयनित करके विभागीय तौर पर ईको टूरिज़म गतिविधियों के लिए तैयार किया जा रहा हैः-

वन विश्राम गृहः– कसोल, होली, पनियो, बहादुरपुर, त्रयूंड, चिल्डरन पार्क हमीरपुर, झीरि पार्क मण्डी, तानु जुब्बड़ और साहू। इन जगहों पर ट्रैकिंग रूटस तथा ईको साईटस को विभागीय तौर पर विकसित करने के लिए हि0प्र0 ईको टूरिज़म सोसाईटी द्वारा धन राशि जारी की गई है।

ii) वृत स्तर की 9 ईकोटूरिज़म सोसाईटीज गठित की गई हैं जोकि सम्बन्धित अरण्यपाल की अध्यक्षता में बनाई गई है तथा पर्यटन एवं वन विभाग, जिला प्रशासन व स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधि भी इसके सदस्य हैं।

iii) पर्यावरण पर्यटन स्थलों की समय अवधि में बदलाव किया गया है जो इस प्रकार से है:-

क) यदि वन विभाग की ईको डिवैलपमेंट सोसाईटी नें किसी साईट को विकसित करने के लिए पूरी धन राशि खर्च की है उस स्थिति में निजी पार्टियों को वह साईट 3 वर्ष तक दी जाएगी जिसमें 2 वर्ष तक का विस्तार दिये जाने का प्रावधान है।

ख) जहां साईट को विकसित करने के लिए निजी पार्टी ने अधिकतम खर्च किया है वह साईट 10 वर्ष तक के लिए प्रदान की जाएगी जिसमें 5 वर्ष तक के विस्तार का प्रावधान है।

प्रयास यह किया जाएगा कि ऐसी भूमि चिन्हित की जाए जिसमें वन भूमि को ताड़ने व पेड़ों को काटने की आवश्यकता न हो केवल दुर्लभ मामलों में जहां कोई विकल्प नहीं होगा FCA की मंजूरी की आवश्यकता वाली साईटें शुरू की जाएंगी।

साईटों/परियोजनाओं का आबंटनः साईट/परियोजना के आबंटन में पारदर्शिता लाने के लिए निम्नलिखित चरणबद्ध प्रक्रिया का पालन किया जाएगाः-

चरण 1: <u>परियोजना की पहचानः-</u> ऐसी 1 हे0 तक की साईट का चयन किया जाएगा जिसमें पेड़ों की काटने की आवश्यकता न हो परियोजना तैयार करने के लिए बोली दस्ताबेज तैयार करने और पूरी प्रक्रिया में सहायता के लिए सलाहकार नियुक्त करने का

प्रावधान है। वित्त विभाग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हि0प्र0 इनफरास्ट्रक्चर डिवैलपमेंट बोर्ड को भी सहायता के लिए कहा जाएगा।

चरण 2: परियोजना को अन्तिम रूप देने के पश्चात इसे हि0प्र0 इनफरास्ट्रक्चर डिवैलपमेंट बोर्ड से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा जो प्रस्ताव भावी पार्टियों से आएंगे उसकी मंजूरी भी ई0डी0बो0 से ली जाएगी।

चरण 3: हि0प्र0 ई0डी0बो0 एवम् हि0प्र0 ईको टूरिज़म सोसायटी से स्वीकृति मिलने के पश्चात मण्डलीय/वृत स्तर की सोसायटी द्वारा सक्षम प्राधिकारी से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा तथा नैट परैजन्ट वैल्यू (NPV), प्रतिपूरक वनीकरण (CA) व अन्य शुल्क का भुगतान किया जायेगा जिसका खर्च बाद में प्रोजेक्ट/साईट चलाने वाले से लिया जाएगा।

चरण 4: वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत परियोजना स्वीकृत होने के पश्चात वित्तीय बोली आमन्त्रित की जाएगी तथा उच्चतम बोली देने वाले को परियोजना आबंटित की जाएगी इसमें प्रदेश के लोगों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान रखा गया है।

चरण 5: ईको रेस्टोरेशन:- परियोजना की अवधि समाप्त होने के पश्चात उक्त ईको टूरिज़म साईट विभाग को वापिस करनी होगी तथा परियोजना चलाने वाले को अनुबंध के अनुसार ईको रेस्टोरेशन शुल्क देने होंगे जिसका उपयोग उस साईट को दोबारा उसी प्राकृतिक स्थिति में लाने के लिए किया जाएगा जैसे कि वह साईट परियोजना चलाने से पहले थी।

जो निर्माण साईट पर किया गया होगा वह उसी तरह ही वन विभाग के सपुर्द करना होगा।

चरण 6: जो आमदनी ईको टूरिजम के माध्यम से होगी उसमें 20% हिस्सा राज्य सरकार, 20% हि0प्र0 ईको टूरिज़म सोसायटी और शेष 60% मण्डलीय/वृत स्तर की ईको टूरिज़म सोसायटी का होगा।

समय-समय पर इम्पैक्ट असैस्मेंट स्टडीज की जाएगी ताकि यह पता चल सके कि प्रकृति और पारिस्थितिकी के प्रति लोगों में कितनी जागरूकता पैदा हुई है, पर्यावरण पर इसका क्या असर हुआ है तथा कितना रोजगार प्रदेश के लोगों को उपलब्ध हुआ है। किसी साईट पर पर्यटकों की संख्या का नियन्त्रण उस साईट की क्षमता के अनुरूप ही किया जाएगा।

18. अन्य विकास योजनायें

उपरोक्त वर्णित कार्यक्रमों व योजनाओं के अतिरिक्त राज्य में निम्नलिखित वानिकी विकास योजनायें भी कार्यान्वित की जा रही हैं :-

1. वनों का सर्वेक्षण तथा सीमांकन।
2. वनों की सुरक्षा।
3. चरागाह विकास।
4. कार्ययोजना संगठन।
5. शटल और बॉबिन फैक्टरी।
6. भवन निर्माण योजनाएं।
7. सड़कों तथा रास्तों की निर्माण योजनाएं।
8. भवनों तथा सड़कों/रास्तों की मरम्मत।
9. निर्देशन एवं प्रशासन इत्यादि।

10. नर्सरियों की स्थापना/मरम्मत

19. सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 (RTI Act-2005) के अनुच्छेद 4 (1) (बी) के अन्तर्गत 17 मदों में वांछित सूचना वन विभाग की वैबसाईट www.hpforest.nic.in पर उपलब्ध है। इस सूचना को समय-समय पर अपडेट किया जा रहा है।

20. योजना व्यय :

वर्ष 2016-17 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर 2406-वन तथा 2402-भू-संरक्षण योजनाओं के अन्तर्गत भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का ब्योरा संलग्न परिशिष्ट -'क' में दिया गया है।

परिशिष्ट - 'क'

वर्ष 2016-17 के दौरान भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियाँ

प्रांतीय योजनाएँ

क. गैर जन-जातीय

वानिकी क्षेत्र

क्र0 सं0	योजना का नाम	कार्य का नाम	इकाई	भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये)
1.	निर्देशन और प्रशासन	स्थापना व्यय/ विभिन्न कार्य	-	-	774.03

2.	एन.आर.एम.टी.डी.एस. को सहायता अनुदान	विभिन्न कार्य	-	-	25.00
3.	सम्पर्क मार्ग एवम् भवन	(क) मार्ग निर्माण (ख) भवन निर्माण (ग) भवन तथा मार्ग मरम्मत	कि0मी0 संख्या -	कार्य प्रगति पर -यथोपरि- -	100.00 489.13 476.86
4.	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	वनों का सीमांकन	-	-	20.00
5.	कार्ययोजना संगठन	कार्ययोजना बनाना	-	-	38.26
6.	वन सुरक्षा	वन सुरक्षा	-	-	22.67
7.	चरागाह विकास	पौधारोपण/विभिन्न कार्य	हे0	293	90.00
8.	वृक्षावरण सुधार	पौधारोपण/विभिन्न कार्य	हे0	3258	1349.99
9.	विभागीय पौधारोपण तथा लोगों में वितरण के लिए नर्सरियों की स्थापना	-	-	-	69.00
10.	पौधारोपण तथा नर्सरियों की मरम्मत	-	-	-	145.45
11.	शटल एवम् बॉबिन फैक्टरी	स्थापना व्यय/ विभिन्न कार्य	-	-	10.00
12.	सांझी वन योजना	विभिन्न कार्य	हे0	-	16.14
13.	मज़दूरों व कर्मचारियों को सुख-सुविधाएं	सुविधाएं	-	-	15.00
14.	मध्य हिमालयन जल प्रवाह परियोजना	स्थापना व्यय/पौधारोपण/ विभिन्न कार्य	हे0	418	6415.89
15.	वानिकी अनुसन्धान योजना	विभिन्न कार्य	-	-	10.02

16.	स्वां नदी बाढ़ प्रबन्धन परियोजना	स्थापना व्यय/ विभिन्न कार्य	-	-	587.23
17.	पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना (बी.ए. एस.पी.)	-	-	-	35.80
18.	वन प्रबन्धन बढ़ाना	स्थापना व्यय/ विभिन्न कार्य	-	-	13.23
19.	मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री अंडर नैशनल मिशन फॉर सस्टेंनेबल एग्रीकल्चर	विभिन्न कार्य	-	-	8.54
20.	हि0 प्र0 इको-सिस्टम कलाईमेट प्रूफिंग प्रोजैक्ट	स्थापना व्यय/पौधारोपण/ विभिन्न कार्य	-	417	1227.48
21.	एकीकृत उद्यान विकास मिशन के तहत राष्ट्रीय बांस मिशन	विभिन्न कार्य	-	-	1.76
जोड़					**11941.48**

वन्य प्राणी क्षेत्र

क्र0 सं0	**योजना का नाम**	**कार्य का नाम**	**इकाई**	**भौतिक**	**वित्तीय (लाख रुपये)**
1.	वन्य प्राणी परिरक्षण	स्थापना व्यय/ विभिन्न कार्य	-	-	195.26
2.	नैशनल पार्क तथा सैंचरी का विकास	स्थापना व्यय/ विभिन्न कार्य	-	-	10.02
3.	हिमालयन जूलोजिकल पार्क का विकास	स्थापना व्यय/ विभिन्न कार्य	-	-	136.00
4.	एच.पी.जैड.सी.बी.एस. को सहायता अनुदान	विभिन्न कार्य	-	-	325.00

5.	जूलोजिकल पार्क के तहत भवन	विभिन्न कार्य	–	–	6.00
योग					**672.28**
कुल जोड़ वानिकी तथा वन्य प्राणी गैर जनजातीय योजनाएं					**12613.76**

ख. जन–जातीय योजना

वानिकी क्षेत्र

क्र0 सं0	**योजना का नाम**	**कार्य का नाम**	**इकाई**	**भौतिक**	**वित्तीय (लाख रुपये)**
1.	सम्पर्क मार्ग एवम् भवन	1.भवन निर्माण 2.सड़क निर्माण	सं0 कि0मी0	– –	117.56 74.99
2.	वानिकी कार्यक्रम	–	–	–	39.86
3.	वृक्षावरण सुधार/नर्सरियों की स्थापना	स्थापना व्यय/पौधारोपण/ विभिन्न कार्य	हे0	190	172.94
4.	एकीकृत उद्यान विकास मिशन के तहत राष्ट्रीय बांस मिशन (सहायता अनुदान)	विभिन्न कार्य	–	–	0.09
5.	एच.पी. इको-सिस्टम क्लाईमेट प्रूफिंग प्रोजैक्ट	विभिन्न कार्य	–	–	66.57
कुल जोड़ जन–जातीय					**472.01**

वन्य प्राणी क्षेत्र

क्र0 सं0	योजना का नाम	कार्य का नाम	इकाई	भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये)
1.	वन्य प्राणी शरण्यों का विकास और सुधार	विभिन्न कार्य	-	-	10.00
2.	वन्य प्राणी शरण्यों का गहन प्रबन्ध	स्थापना व्यय/ विभिन्न कार्य	-	-	62.80
3.	पिन वैली नेशनल पार्क का विकास	स्थापना व्यय/ विभिन्न कार्य	-	-	1.19
4.	कोल्ड डिज़रट बायोस्फेयर रिज़र्व प्रबन्धन कार्य योजना	स्थापना व्यय/ विभिन्न कार्य	-	-	6.91
जोड़ वन्य प्राणी					**80.90**

डॉ0 वाई0 एस0 परमार उद्यानिकी एवम् वानिकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान**/योग** (जनजातीय)	विभिन्न कार्य	-	-	**42.00**
कुल जोड़ जनजातीय (वानिकी, वन्य प्राणी तथा विश्व-विद्यालय अनुदान)				**594.91**

ग. भू-संरक्षण योजनाएं (गैर-जनजातीय)

1.	सुरक्षात्मक वनीकरण, भू-संरक्षण एवम् प्रदर्शन**/योग**	स्थापना व्यय/पौधारोपण/ विभिन्न कार्य	हे0	685	711.85

घ. भू-संरक्षण (जनजातीय)

1.	सुरक्षात्मक वनीकरण, भू-संरक्षण एवं प्रदर्शन **/योग**	स्थापना व्यय/पौधारोपण/ विभिन्न कार्य	हे0	77	43.41
कुल जोड़ भू-संरक्षण गैर जन-जातीय तथा जन-जातीय योजनाएं					**755.26**
कुल जोड़ प्रांतीय योजनाः- वानिकी, वन्य प्राणी, भू- संरक्षण एवं विश्वविद्यालय सहायता अनुदान (गैर जन-जातीय तथा जन-जातीय योजनाएं)					**13963.93**

<u>केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं</u>

क. वानिकी क्षेत्र (गैर जन-जातीय)

क्र0 सं0	योजना का नाम	कार्य का नाम	इकाई	भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये)
1.	एकीकृत वन संरक्षण योजना	स्थापना व्यय/ विभिन्न कार्य	-	-	211.52
2.	एकीकृत उद्यान विकास मिशन के तहत राष्ट्रीय बांस मिशन	विभिन्न कार्य	-	-	21.07
3.	वन प्रबन्धन बढ़ाना	स्थापना व्यय/ विभिन्न कार्य	-	-	120.05
4.	मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेंनेबल एग्रीकल्चर	विभिन्न कार्य	-	-	78.28
	जोड़ वानिकी क्षेत्र (गैर जन-जातीय)				**430.92**

ख. वन्य प्राणी (गैर जन-जातीय)

1.	राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता/ **जोड़**	स्थापना व्यय/ विभिन्न कार्य	-	-	91.69
जोड़ वानिकी तथा वन्य प्राणी (गैर जन-जातीय)					**522.61**

ग. वानिकी (जन-जातीय)

1.	एकीकृत उद्यान विकास मिशन के तहत राष्ट्रीय बांस मिशन (सहायता अनुदान)/ **जोड़**	विभिन्न कार्य	-	-	**0.78**

घ. वन्य प्राणी (जन-जातीय)

1.	वन्य प्राणी शरण्यों का गहन विकास	स्थापना व्यय/ विभिन्न कार्य	-	-	80.10
2.	पिन-वैली नैशनल पार्क का विकास	स्थापना व्यय/ विभिन्न कार्य	-	-	10.70
3.	कोल्ड डिज़रट बायोस्फेयर रिजर्व प्रबन्धन कार्ययोजना	स्थापना व्यय/ विभिन्न कार्य	-	-	62.23
	जोड़ जनजातीय वन्य प्राणी				**153.03**
	जोड़ वानिकी तथा वन्य प्राणी (जन-जातीय)				**153.81**
कुल जोड़ केन्द्रीय योजनाएंः-वानिकी, वन्य प्राणी तथा भू-संरक्षण (गैर जन-जातीय तथा जन जातीय योजनाएं)					**676.42**
कुल जोड़ प्रांतीय तथा केन्द्रीय योजनाएं हि0 प्र0।					**14640.35**

*****